संख्या-15/2015/600सी0डी0/46-3-15-1000(73)/2013

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
शाहजहॉपुर एवं पीलीभीत।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत संचालित अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना (जिला योजना) में सड्कों के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ति के सापेक्ष हो रही बचतों के फलस्वरूप सड्कों के भौतिक लक्ष्यों में परिवर्तन/ संशोधन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्र्त विषयक शासनादेश संख्या-2452 सी0डी0/46-3-14-1000(73) /2013, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1340/अ0ग्रा0, दिनांक 19.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना आयुक्त के प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उपयुक्र्त संदर्भित शासनादेश संख्या-2452 सी0डी0/46-3-14-1000(73) /2013, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा स्वीकृत जनपद शाहजहॉपुर एवं पीलीभीत की, इस पत्र संलग्नक के कालम-2 में अंकित सम्पर्क मार्गो की कालम-3 में अंकित लम्बाई को, निविदा दर क्रमश: 17 प्रतिशत् एवं 11.50 प्रतिशत् कम होने से हो रही बचत के कारण, संलग्नक कालम-8 के अनुसार भौतिक लक्ष्य में संशोधन करने एवं तद्नुसार लम्बाई बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या-2452 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 में उल्लिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है। कृपया तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या-2452 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

क्रमश-.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/600सी0डी0/46-3-15-1000(73)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0,छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ ।

6- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।

7- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी ।

8- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

9- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-15/2015/600सी0डी0/46-3-15-1000(73)/2013, दिनांक **25** मार्च **2015** का संलग्नक

जिला योजना वर्ष **2014-15** में अनुदान संख्या-**23** के अन्तर्गत अन्तग्रार्मीण सड़कों के निर्माण हेतु प्राप्त बचत के सापेक्ष संशोधित कार्ययोजना

(जनपद शाहजहॉपुर एवं पीलीभीत के लिये)

जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दिनांक 14 अक्टूबर 2014 के अनुसार स्वीकृत कार्ययोजना					स्वीकृत की जा रही संशोधित कार्ययोजना				
		लम्बाई (कि0मी)	स्वीकृत लागत (ला0रू0)	राज्यांश (ला0रू0)	सेन्टेज की धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (ला0रू0)	लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (ला0रू0)	राज्यांश (ला0रू0)	सेन्टेज की धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
शाहजहॉपुर	कटरा खुदागंज मार्ग से फुलुवा सम्पर्क मार्ग	1.000	54.091	42.73	4.75	37.98	1.070	54.091	42.73	4.75	37.98
पीलीभीत	आसाम रोड कढेर चौराहे से हरियापुर कंला रोड से ग्राम तुलापुर गुरूद्वारे तक	0.600	35.318	27.90	3.10	24.80	0.670	35.318	27.90	3.10	24.80

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in